

संख्या:- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय शेष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-कर्मसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति वार्षिक के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4101-JYOTIRADITAYA INSTITUTE OF PHARMACY,SHIKSHA GRAM,KOHANDAUR,PRATAPGARH-230401

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभवी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। यौन निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो यौन की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से जागामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कर्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई वाद दापर

संस्था है तथा प्रायः काल के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था
पूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संरक्षित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट या संस्था की सामान सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टि हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ पैकिंग लेकने के सम्बन्ध में सफल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परम्परागत सरासरी पाठ्यक्रम को जारी रखे हेतु निरीक्षित सविधि के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षित टैगल यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0आई0सी0टीपीई0 पी0सी0आई0 परीषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की रिपोर्ट में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राविष/परीषद सम्बद्धता/2021/3538-4609

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि

प्रधानाचार्य/निदेशक, JYOTIRADITYA INSTITUTE OF PHARMACY, SHIKSHA GRAM, KOHANDAUR, PRATAPGARH-230401



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय द्वाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय पर्यटनिक और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विदेशीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में विदेशीय इन कार्यालय पाठ्यक्रम संबन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रचलन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सदन विचार-विमर्श कर निम्नान्तु निर्णय लिया गया -

"मित्री क्षेत्र में स्थापित विदेशीय इन कार्यालय पाठ्यक्रम संबन्धित करने वाली संस्थार, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध है, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीकवाईद द्वारा उन्हें अद्यतन अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीकवाईद द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनकी नाम के सम्मुख अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता की साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीकवाईद द्वारा प्रदात अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीकवाईद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरीकवाईद /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	भारत	अखिलभारतीय इंजीनियरिंग और कार्मेली शिक्षा संस्थान, कोइंबटूर, महाराष्ट्र।	विदेशीय इन कार्यालय	७५	७५

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठरीकवाईद/पीठरीकवाईद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, सेक्टर विनियमकारी-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ विदेशी समिति द्वारा निर्धारित सुलभ वार्षिक इन्टीर पाठ्यक्रमों हेतु एक 22,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक भारतीय पाठ्यक्रम हेतु 80-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक भारतीय (दो वार्षिक भारतीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 80-22,500.00 प्रतिवर्ष सुलभ की परदेस प्राप्त/प्राप्त से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राप्त/प्राप्तों से सुलभ के सम्बन्ध में समझ-समझ पर साहम द्वारा निर्णय किये जाने वाले साहमवर्षा प्रणाली होने, और उपर्युक्त कार्यवाही किया



जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनताम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्च प्रवेश साशन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शालाघटका के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडवार्ड/सी/टी/डी/ई/पी/सी/आई/सी से आयोजी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रवेश साशन द्वारा बताये गये विधि/विषयों/अभियोगों/शालाघटकों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता यदि सी/टी/आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त छात्राधिकार-संस्था का होना और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश साशन को कोई भी कार्य सौंपे किया जाता है तथा उच्च प्रवेश से संस्था में या व्यावसाय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रवेश साशन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कारगिरि/लिमिटेड प्राप्त होने के पूर्व सी/टी/आई/सी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कारगिरि/लिमिटेड) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश साशन द्वारा प्रेषण हेतु निर्गत महीनताम आवास निगमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चुम्बिनि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपर्युक्त छात्रावास उपलब्ध करने के साथ विविध योजनाओं के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में अलार्डि/संचालित पाठ्यक्रम को बसाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को सम्बद्ध उपलब्ध कराये गये अभिलेख, सूचि-बन्धन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था हमसेका का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता बरकरा रखे जाने की अनुमोदना की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने जाने अथवा शर्तों का पालन करने जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डा० अरुणो सिंह)
सचिव

पृष्ठ- 1/सचिव/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

सद दिनांक: 15-08-2020

पधिसिधि-ज्वालाघाट/निदेशक, ज्योतिरदित्वा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, शिक्षा घाट, कोटवाडीर, ज्वालाघाट।

(डा० अरुणो सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 14-5-2019

-कार्यालय ड्राफ्ट-

अखिल भारतीय लक्ष्मीजी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय लक्ष्मीजी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विज्ञापन प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2090 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को क्र. 17 में डिप्लोमा इन कार्वेरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था को इतरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर विभागात् निर्णय लिया गया -

ऐसी गवस्थापित डिप्लोमा इन कार्वेरी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसूच सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्डिनलिसिंग में सम्मिलित कराया जा सके।

आत विभागात्तर संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा ली गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2090 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु विभागात्तर लक्ष्मी जी अखिल पाठ्यक्रम एवं उससे अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4391	ज्योतिबाईदास इन्स्टीट्यूट ऑफ कार्वेरी शिक्षा एवं कोलॉटोर, लखनऊ	डिप्लोमा इन कार्वेरी	60	60

सम्बद्धता हेतु नई

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा डिप्लोमा की नयी पारी का पूर्ण प्राप्ति करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा सत्र 2019-20 प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2090 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभागात्तर 12902 तथा अन्य विभिन्न विषयों एवं अर्थों का अनुमान करनी तथा पूर्ण निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्स्टीट्यूट पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्वेरी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 15,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रम (दो वार्षिक कार्वेरी पाठ्यक्रम की अतिरिक्त) हेतु ₹० 20,00,00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक छात्र/छात्रा को प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की अतिरिक्त प्राप/पाठ्यक्रम से शुल्क की सम्बन्ध में समस्त संपर्क एवं संचालन द्वारा निर्णय किये जाने

जारी शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। पीठ निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु पीठ का पुनर्गठन किया जाता है, तो पीठ की गठनक्रम का ताम्र होनी।

- ✓ सत्र की (उपरोक्त प्राविक) शिक्षा समितियों तथा उन परिषदों, समूहों का सम्बद्ध शिक्षा (अनु) विधिव्यवस्था-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र में समूह प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन प्राप्त की जा रही दिनांक जायेगा। सीटों का सिकर वह जाने की स्थिति में उक्त प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश ही कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्र की सत्र-समाप्त पर निर्देश शासनादेश के अनुसार विधिवत एवं सम्बद्धता सुनिश्चित किया जायेगा।
- ✓ सत्र की एडमिशन/रजिस्ट्रेशन से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र उक्त प्रदेश शासन द्वारा किये गये विधि/नियम/अधिनियम/समनवाहनों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रादेशिक शिक्षा, उक्त समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, उक्त राज्य प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उक्त द्वारा किये गये विद्यमान विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ शिक्षण एवं कार्यवाही कार्यक्रम की सम्बद्ध यदि पीठ/अधु, वह दिनों में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस सत्र में समाप्त (आवश्यक) सत्र का होगा और शिक्षण एवं कार्यवाही की कार्यवाही के लिए सत्र का उक्तकारी होगी। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रादेशिक शिक्षा निर्देशन एवं प्रादेशिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन को कोई भी कार्य प्राप्त किया जाता है तथा कार्य का सत्र में या अनुपालन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति करनी आदेश निर्देश किया जाता है तो समाप्त प्रतिपूर्ति संबंधित सत्र ही करनी होगी।
- ✓ शिक्षण एवं कार्यवाही कार्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं एवं समूह प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदिका प्रदेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व (आवश्यक) से अनुमोदन प्राप्त का परिषद सम्बन्धित या सम्बन्धित शासन द्वारा आवश्यक अन्य प्रवेश की (आवश्यक) की मातम से उक्त सत्र का सत्र पर सीट प्रवेश) अनुधी नहीं कराने की जायेगी।
- ✓ उक्त प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश हेतु निर्देश सम्बन्धित आदेश, निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र की अपने वेबसाइट पर सत्र की समाप्त सूचनाएं उक्त सत्र की एडमिशन/रजिस्ट्रेशन, सत्र सत्र-समाप्त सम्बन्धित, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित शासनादेश सुनिश्चित अदि का विवरण प्राप्त कराना होगा।
- ✓ सत्र की शिक्षण-प्रादेशिक हेतु समूह प्रवेश कार्यक्रम उक्त सत्र में सत्र शिक्षण/सत्रों को सम्बन्धित सत्र आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सत्र पर सुनिश्चित हो कि सत्र में प्रवेशित / सम्बन्धित कार्यक्रम की सत्रों जाने हेतु निर्देशन समिति के सत्र उक्त सत्र का सत्र अधिनियम, सुनिश्चित, सुनिश्चित, सुनिश्चित, सुनिश्चित, सुनिश्चित का यदि सत्र द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के सत्रों में प्रवेश किया जाता है और सत्रों को इसकी जानकारी होती है कि सत्र उक्त सत्र का सत्र किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्त सत्र की सम्बद्धता सत्रों जिसे जाने की अनुपालन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनमक कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुनः- प्रावि/पीषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक: 15-9-2019

प्रादेशिक-प्रधानमन्त्री/निदेशक, जातिरहित आरक्षण और परीक्षा, शिक्षा प्राम, कोहली, प्रतापगढ़।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव